कौटिल्य एकेडमी

www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

# CURRENT AFFAIRS

30TH JUNE 2023

1. समान नागरिक संहिता
2. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
3. H-1B वीजा
4. संयुक्त राष्ट्र की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट
5. कैबिनेट ने पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी

# समान नागरिक संहिता

- **पीएम मोदी** की ओर से **UCC** पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी **संस्कृति** और सालों से चले आ रहे नियमों की चिंता है। आदिवासियों के **जमीन, विवाह, तलाक** और **उत्तराधिकार** से जुड़े नियम मुख्यधारा से अलग हैं। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी **संवेदनशील** है और इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने को मजबूर करती है।
- हाल ही में **विधि आयोग** ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि मौजूदा वक्त में **समान नागरिक संहिता** यानी **Uniform Civil Code** न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।
- आयोग का मानना है कि **समान नागरिक संहिता** समस्या का हल नहीं है बल्कि, सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की ज़रूरत है ताकि उनके **पूर्वाग्रह** और **रूढ़िवादी तथ्य** सामने आ सकें।
- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये **विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने** आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।

- संविधान के **अनुच्छेद 44** में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये **एक समान नागरिक संहिता** सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 44,** संविधान में वर्णित **राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों** में से एक है।
- **अनुच्छेद 44** का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित **"धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य"** की अवधारणा को मजबूत करना है।
- **समान नागरिक संहिता (UCC)** की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने **वर्ष 1835** में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें **अपराधों, सबूतों** और **अनुबंधों** जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालाँकि रिपोर्ट में **हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों** को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई।
- ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को **वर्ष 1941** में **हिंदू कानून** को संहिताबद्ध करने के लिये **बी.एन. राव समिति** गठित करने के लिये मजबूर किया।

- इन सिफारिशों के आधार पर **हिंदुओं, बौद्धों, जैनों** और **सिखों** के लिये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु **वर्ष 1956** में **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया।
- वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, सिविल मामलों में **एक समान नागरिक संहिता** का पालन करते हैं, **जैसे-** भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, भागीदारी अधिनियम, 1932, साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि।
- हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किये हैं परंतु **धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों** में अभी भी विविधता है।
- **गोवा** में **पुर्तगाल सरकार** ने ही **यूनिफार्म सिविल कोड** लागू किया था। **वर्ष 1961** में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में **उत्तराखंड** पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसकी कैबिनेट ने **सिविल कोड** लागू करने का निर्णय लिया है।

# क्या है समान नागरिक संहिता?

एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी **धर्म या जाति** के सभी निजी कानूनों से ऊपर

देश में **हिंदू सिविल लॉ** के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते

पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे **कई देशों में लागू**

संविधान के **अनुच्छेद 44** के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी

गोवा में **साल 1961** से समान नागरिक संहिता लागू है

# राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023

- हाल ही में **केन्द्रीय मंत्रिमंडल** ने **28 जून 2023** को **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation: NRF) विधेयक, 2023** को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी।
- यह विधेयक **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)** की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह फाउंडेशन **अनुसंधान** एवं **विकास** का बीजारोपण करेगा तथा उसे विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा और देशभर के **विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों** तथा **अनुसंधान** एवं **विकास योगशालाओं** में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- यह विधेयक **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को **उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा** प्रदान करने के लिए **NRF** नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा।
- इस शीर्ष निकाय की कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों की **अवधि (2023-28)** के दौरान **50,000 करोड़ रुपये** होगी।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग **NRF** का प्रशासनिक विभाग होगा जो एक शासी बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड) द्वारा शासित होगा और इस बोर्ड में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे।

- **प्रधानमंत्री** इस बोर्ड के **पदेन अध्यक्ष** होंगे और **केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री** तथा **केन्द्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष** होंगे।
- **NRF** का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा ।
- **NRF** उद्योग एवं शिक्षा जगत तथा सरकारी विभागों व अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और वैज्ञानिक एवं संबंधित मंत्रालयों के अलावा विभिन्न उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी व योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा।
- यह एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो **अनुसंधान** एवं **विकास** पर उद्योग जगत द्वारा सहयोग और बढ़े हुए व्यय को प्रोत्साहित कर सके।
- यह **विधेयक 2008** में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित **विज्ञान** और **इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB)** को भी निरस्त कर देगा और इसे NRF में सम्मिलित कर देगा, जिसका एक विस्तृत दायरा है और जो **एसईआरबी** की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है।

# H-1B वीजा

- अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, अमेरिका **H-1B visa** को **रिन्यू** करने के लिए तैयार है।
- अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को अपने **work visa** के **नवीनीकरण** के लिए विदेश यात्रा की परेशानी के बिना अपनी नौकरी जारी रखने में मदद करेगा।
- **H-1B वीजा** अत्यधिक मांग वाले **गैर-आप्रवासी वीजा** हैं जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं।
- ये वीज़ा प्रतिभा की भर्ती को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जिसमें कई कर्मचारी भारत जैसे देशों से आते हैं।
- **2004 तक, H-1B वीज़ा** सहित कुछ गैर-आप्रवासी वीज़ा को अमेरिका के भीतर नवीनीकृत किया जा सकता था या मुहर लगाई जा सकती थी।
- हालाँकि, बाद के बदलावों के कारण विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को देश छोड़ना पड़ा, जो अक्सर अपने पासपोर्ट पर **एच-1बी वीज़ा** विस्तार के लिए अपने घरेलू देशों में लौट जाते थे।

- इस आवश्यकता ने महत्वपूर्ण असुविधाएँ उत्पन्न कीं, विशेष रूप से **वीज़ा नवीनीकरण** के लिए लंबे प्रतीक्षा समय को ध्यान में रखते हुए, जो **800 दिन** या **दो साल से अधिक** हो सकता है।
- भारतीय पेशेवरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अमेरिकी वीज़ा कार्यालय ने **'इन-कंट्री' नवीकरणीय एच-1बी वीज़ा'** पेश किया है।
- यह पहल व्यक्तियों को वीज़ा नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है।

# संयुक्त राष्ट्र की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट

- भारत को संयुक्त राष्ट्र से एक राहत भरी खबर मिली है। **यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस** ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर **13 साल बाद** 2023 की वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर चिंता जताने के बाद भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर उपाय किए।
- पहले भारत को **जम्मू-कश्मीर** में **सशस्त्र समूहों** द्वारा लड़कों की कथित भर्ती और उपयोग और **सुरक्षा बलों** द्वारा उनकी **हिरासत, हत्या** और **अपंगता** के मामले में सूची में शामिल किया गया था।
- **2010** के बाद यह पहली बार है कि रिपोर्ट में **बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान** और **फिलीपींस** जैसे देशों के साथ भारत का नाम नहीं लिया गया है।
- वैश्विक स्तर पर **2022** में, बच्चे **सशस्त्र संघर्ष** से असंगत रूप से प्रभावित होते रहे, और गंभीर उल्लंघनों से प्रभावित होने वाले सत्यापित बच्चों की संख्या **2021** की तुलना में **बढ़ी** है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा **"बच्चों की बेहतर सुरक्षा"** के लिए उठाए गए कदमों के मद्देनजर भारत को **"2023 में रिपोर्ट से हटा दिया गया है"**।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार **2019 के बाद** से विभिन्न नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों की वजह से यह संभव हो पाया है।
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे और **छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, ओडिशा** और **जम्मू और कश्मीर** में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच का स्वागत किया।
- **अनुच्छेद 370** को हटाने के बाद, **जम्मू और कश्मीर** में **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015** के तहत बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड जैसी सभी वैधानिक सेवा वितरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं।
- भारत सरकार लगातार अपने देश का नाम इस सूची से बाहर करने के प्रयास में लगी हुई थी।

# कैबिनेट ने पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी

- केंद्र ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और **रासायनिक उर्वरकों** के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दे दी है।
- इसने **₹3.68 लाख करोड़** के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक तीन वर्षों के लिए जारी रखने का भी निर्णय लिया।
- **पीएम-प्रणाम** का मतलब धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम है।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।
- योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मान लीजिए कि **एक राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरक** का उपयोग कर रहा है।
- अगर वह अपनी **खपत 3 लाख टन** कम करती है तो **सब्सिडी** की बचत **3,000 करोड़ रुपये** होगी।

- उस सब्सिडी बचत में से, केंद्र वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को **50% - ₹1,500 करोड़ देगा**।
- **उद्देश्य -**
  - जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए,
  - **2022-2023** में सब्सिडी का बोझ **करीब 2.25 लाख करोड़ रुपये** है।
  - यह **पिछले साल** के **1.62 लाख करोड़ रुपये** के आंकड़े से **39% ज्यादा** है।
- योजना के लिए अलग से बजट नहीं होगा।इसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्त पोषित किया जाएगा।
- **सब्सिडी बचत का 50%** उस राज्य को दिया जाएगा जो अनुदान के रूप में धन बचाता है।

- इस **अनुदान का 70%** उपयोग **ग्राम, ब्लॉक** और **जिला स्तर** पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों की तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है।
- **शेष 30%** अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों और उर्वरक कटौती और जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।